उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 08 श्रावण, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 30 जुलाई, 2008)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ ''वन्दे मातरम्'' (देखिये नत्थी **''क''**)।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।

3. निधन के निदेश।

4. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 मई, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का सातवां अधिनियम बन गया।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. सभापति, प्रवर समिति, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

7. सभापति, लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की लोक लेखा समिति (2007-08) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

8. श्री गणेश जोशी, सदस्य विधान सभा, "जनपद देहरादून शहर के बीच चन्दरनगर स्थित चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) को शहर के बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में" श्री राजकुमार कक्कड़ एवं अन्य निवासीगण, 112 चन्दर नगर, जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री गणेश जोशी, सदस्य विधान सभा, "जनपद देहरादून के डांडीपुर क्षेत्र (गुरूद्वारा, मस्जिद के नजदीक एवं आनन्द चौक के कुछ क्षेत्र) में विगत कुछ वर्षो से पानी की समस्या के संबंध में" श्री राजकुमार कक्कड़ एवं अन्य निवासीगण, 112 चन्दर नगर, जनपद- देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत (गाजणा) में जलकूर नदी के खेप नामें तोक पर (आर0सी0सी0) पैदल झूला पुल निर्माण के संबंध में" श्रीमती पवित्रा देवी, निवासी ग्राम- बागी, पो0- ठाण्डी कमद, जनपद- उत्तरकाशी एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

14. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"**ग**")

15. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

16. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 30 जुलाई, 2008

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 08 श्रावण, शक संवत्, 1930

(दिनांक : 30 जुलाई, 2008)

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी
07–02–2008

***1.** क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु सी0एन0जी0 युक्त वाहन चलाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? — परिवहन

श्री प्रीतम सिंह
15–02–2008

***2.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है? यदि हाँ तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? — वन

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
25–02–2008

***3.** क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर की सड़कों के चौड़ीकरण हेतु कुल कितने वृक्ष काटे गये और काटे गये इन वृक्षों के सापेक्ष चार गुना वृक्ष देहरादून शहर के किस स्थान पर लगाये गये और कब? यदि नहीं, तो क्यों? — वन

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री पुष्पेश त्रिपाठी
25–02–2008

1. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विकास खण्ड के तल्ली महाली नामक स्थान पर दिनांक 23 जून 2002 को बाघ द्वारा 4 वर्षीय कु0 जानकी पुत्री श्री दयाल राम को घायल किया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? — वन

श्री सुरेन्द्र राकेश
26–02–2008

2. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22–12–07 जो भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजाजी नेश्नल पार्क के पास गांव आबादी एवं फसलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में था तथा जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 23–12–07 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को भी प्रेषित की गयी थी, प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अमृता रावत
14–07–2008

1. क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखण्ड, परिवहन निगम लि0 की बस संवाओं के संचालन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, परिवहन निगम, देहरादून को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–219/विधायक/07–परिवहन/2007–08 दिनांक 13–11–2007 पत्रांक संख्या–323/विधायक/07–परिवहन 2007–08 दिनांक 20–11–2007, पत्रांक संख्या–674/विधायक/07–परिवहन 2007–08 दिनांक 10–03–2008, कब–कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों पर बस सेवायें संचालित करवाने की दिशा में अब तक की कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है? क्या यह सत्य है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के द्वारा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन

नत्थी "ग"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29–07–2008 की बैठक में दिनांक 30–07–2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

जुलाई, 2008

30 बुधवार	1– औपचारिक कार्य।
	2– उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण।